भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः *315

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

अनुसूचित जातियों का कल्याण

***315. श्री अरुण भारतीः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) जमुई में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए छात्रवृत्तियों एवं आवासीय विद्यालयों सहित की गई शैक्षिक पहलों तथा कार्यान्वित कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषतः जमुई में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने जमुई में अनुसूचित जाति समुदायों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या या रोजगार की सुलभता आदि की पहचान की है और यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) आगामी वर्षों में जमुई में अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रस्तावित विशेष परियोजनाओं या योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत श्री अरुण भारती द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 315 के संबंध में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आवंटित कुल धनराशि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना	जारी की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)
1.	अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)	1165.58
2.	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	160.85
3.	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	70.93
4.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)	56.53
5.	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	5.81

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के दौरान बिहार राज्य के लिए श्रेयस के तहत जारी धनराशि 21.36 करोड़ रुपये है।

इस विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं के संबंध में जिला-वार आवंटन के आंकड़े इस विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जिला-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जमुई, मुंगेर और शेखपुरा जिलों में 9,993 लाभार्थियों को 2.71 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा वितरित किया गया है।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जमुई, मुंगेर और शेखपुरा जिलों में 11,063 लाभार्थियों को 1.19 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा वितरित किया गया है।

(ख): जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कार्यान्वित छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित शैक्षिक पहलों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2. अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
3. अनुसूचित जाति (एससी) के यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) योजना
4. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)
5. अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) [पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी/एससीपी]
6. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)
7. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एमएसडीई की योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत धनराशि सीधे जिलों को जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएएस के अंतर्गत निधियां निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। एनएपीएस के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से वजीफा सहायता जारी की जाती है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

पूरे भारत में और जमुई निर्वाचन क्षेत्र में एमएसडीई की उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित/संलग्न/नामांकित सभी श्रेणी के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	**अखिल भारत (सभी श्रेणी)**	**अखिल भारत अनुसूचित जाति (एससी)**	**जमुई निर्वाचन क्षेत्र (मुंगेर, शेखपुरा और जमुई जिलों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवार)**
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 31.10.2024 तक)	157.55 लाख	20.79 लाख	48,224
जेएसएस (2018-19 से 31.10.2024 तक)	27.35 लाख	7.01 लाख	5,752
एनएपीएस (2018-19 से 31.10.2024 तक)	33.69 लाख	4.06 लाख	1,966
सीटीएस/आईटीआई (2018-19 से 2023-24 तक)	79.57 लाख	17.65 लाख	5,477

योजना का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की परिकल्पना गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों को समग्र आय सृजन कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी जिनका स्पष्ट उद्देश्य उनका समग्र विकास और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 2017-18 की बजट घोषणा के अनुसार, अनुसूचित जाति उप-योजना का नाम बदलकर अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन कर दिया गया और वर्तमान में इसे अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के नाम से जाना जाता है। डीएपीएससी के तहत वर्तमान में 39 मंत्रालय/विभाग 233 योजनाओं के लिए धन आवंटित कर रहे हैं। पिछले सात वर्षों का वर्षवार आवंटन और व्यय **अनुबंध-I** में है। डीएपीएससी के अंतर्गत जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना के संबंध में, वित्तीय सेवाएं विभाग ने सूचित किया है कि यह योजना दिनांक 05.04.2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य, कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच मूल्य के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना ने देश भर में 2.51 लाख से अधिक एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को ऋण की सुविधा प्रदान की है, जिसमें से दिनांक 31.10.2024 तक एससी उद्यमियों को कुल 46,015 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, दिनांक 31.10.2024 तक योजना की शुरुआत के बाद से जिला जमुई (बिहार) में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 11 ऋण सहित कुल 79 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

आरंभ से 31.10.2024 तक एसयूपीआई के आंकड़े

(राशि करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम/ जिले का नाम	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		महिलाएं		कुल	
		खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
	बिहार								
1	जमुई	11	1.83	2	0.24	66	12.46	79	14.53
2	मुंगेर	17	2.57	0	0	111	21.15	128	23.72
3	शेखपुरा	18	2.88	2	0.71	46	8.67	66	12.26
उपरोक्त के अतिरिक्त		एससी महिलाएं		एसटी महिलाएं					
		खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि				
1	जमुई	7	1.29	0	0				
2	मुंगेर	9	1.28	0	0				
3	शेखपुरा	10	1.44	1	0.55				

(घ): अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक योजनाओं के अलावा, इस विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न अन्य योजनाओं का विवरण ऊपर उत्तर के भाग (क) में दिया गया है।

डीएपीएससी के तहत 39 मंत्रालय/विभाग 233 योजनाओं के लिए धन आवंटित कर रहे हैं, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पेयजल आदि की उपलब्धता शामिल है। ये योजनाएं बिहार सहित पूरे देश में अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हैं।

डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष					
	2021-2022		2022-2023		2023-2024	
	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय	लाभार्थी	व्यय
1.	01	1.75	02	3.50	02	2.35

आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड की अब तक की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद	आज तक जारी कार्डों की संख्या
1	बिहार में अब तक जारी किये गये स्वास्थ्य कार्डों की कुल संख्या	3,63,29,638
2	जमुई जिले में अब तक जारी किए गए स्वास्थ्य कार्डों की कुल संख्या	6,07,118
3	मुंगेर जिले में अब तक जारी किये गये स्वास्थ्य कार्डों की कुल संख्या	4,33,882
4	शेखपुरा जिले में अब तक जारी किए गए स्वास्थ्य कार्डों की कुल संख्या	2,31,547

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज तक की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद	नल जल कनेक्शन से लैस घरों की संख्या
1	बिहार में अब तक नल जल कनेक्शन से लैस कुल घरों की संख्या	1,60,35,717
2	जमुई जिले में अब तक नल जल कनेक्शन से लैस कुल घरों की संख्या	2,34,818
3	मुंगेर जिले में अब तक नल जल कनेक्शन से लैस कुल घरों की संख्या	1,72,603
4	शेखपुरा जिले में अब तक नल जल कनेक्शन से लैस कुल घरों की संख्या	1,06,129

(ङ): उपर्युक्त बिंदु (ख) में उल्लिखित योजनाएं बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जाती हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 315 के भाग (ख) से संबंधित विवरण

1. अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अन्य लाभवंचित श्रेणियों के बच्चों के अभिभावकों को प्री-मैट्रिक स्तर पर अध्ययनरत उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी भागीदारी में सुधार हो और स्कूल छोड़ने की घटनाओं, विशेष रूप से प्राथमिक से अगले स्तर और प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में जाने के दौरान, को न्यूनतम किया जा सके।

इस योजना का <u>घटक 1</u> कक्षा IX और X में पढ़ने वाले उन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

इस योजना का <u>घटक 2</u> कक्षा I से X तक के उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता/अभिभावक अस्वच्छ और जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे हुए हैं। इस घटक के अंतर्गत कोई आय मानदंड नहीं है।

छात्रवृत्ति की दर (रूपए में) :

घटक	डे-स्कॉलर	छात्रावासी
घटक 1	3500	7000
घटक -II	3500	8000

इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता है।

वर्ष 2022-23 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लागू किया गया है, जिसमें छात्रवृत्ति राशि का केंद्रीय हिस्सा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना हिस्सा वितरित करने और भुगतान किए गए डाटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में भेजने के बाद केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के भुगतान जारी करने की स्थिति

वर्ष	**जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)**	**लाभार्थी**
2019-20	55.50	307048
2020-21	पिछले वर्ष का उपयोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate -	

	UC) प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भारत सरकार से कोई धनराशि जारी नहीं की गई।	
2021-22	75.34	473106
2022-23	14.26	132127
2023-24	15.75	146660
कुल	160.85	1058941

2. अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। यह योजना उन अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000/- (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं है।

छात्रवृत्ति राशि में निम्नलिखित दो घटक शामिल हैं:

(i) राज्य सरकार की शुल्क निर्धारण/युक्तिकरण समिति द्वारा निर्धारित ट्यूशन फीस सहित अनिवार्य अप्रतिदेय (non refundable) शुल्क और

(ii) शैक्षणिक भत्ता

पाठ्यक्रमों की श्रेणी	**वार्षिक (रु. में)**	
	छात्रावासी	**डे-स्कॉलर**
समूह 1: डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह 2: डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह 3: स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह I और समूह II के अंतर्गत शामिल नहीं हैं	6000	3000
समूह 4: सभी पोस्ट-मैट्रिकुलेशन (कक्षा X स्तर के बाद) गैर-डिग्री पाठ्यक्रम	4000	2500

* इसके अतिरिक्त, दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता है।

वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना डीबीटी मोड में लागू की गई है, जिसमें छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना हिस्सा वितरित करने और भुगतान किए गए डाटा को एनएसपी को भेजने के बाद केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है।

अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के भुगतान की स्थिति

वर्ष	**जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)**	**लाभार्थी**
2019-20	राज्य सरकार से मांग प्रतिबद्ध दायित्व (Committed Liability) के अंतर्गत था, इसलिए भारत सरकार से कोई धनराशि जारी नहीं की गई।	
2020-21	47.83	78181
2021-22	0 (राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था)	
2022-23	9.20	11140
2023-24	13.90	8426
कुल	70.93	97747

3. अनुसूचित जाति (एससी) के यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस): अनुसूचित जातियों (एससी) के "यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (श्रेयस)" की केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है जिसमें 4 उप-योजनाएं शामिल हैं, अर्थात् एससी छात्रों के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना (टीसीएस), एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना (एफसीएस), अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस), अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)।

4. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (श्रेष्ठ): अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना वर्ष 1953 से लागू की जा रही है। इस योजना को वर्ष 2021-22 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) कर दिया गया है ।

"लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)" का उद्देश्य सरकार के विकास हस्तक्षेप की पहुंच को बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) और आवासीय उच्च स्कूलों को अनुदान सहायता के प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) बहुल क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की कमी को दूर करना है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए माहौल उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, यह योजना प्रतिभाशाली एससी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़ने की सुविधा सुलभ करती है, जिससे उनके भविष्य के अवसर सुरक्षित होते हैं।

यह योजना दो तरीकों से कार्यान्वित की जा रही है।

मोड-I: सीबीएसई/राज्य बोर्ड से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) परीक्षा के माध्यम से अधिकतम 3000 मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों (9वीं कक्षा के लिए अनंतिम रूप से 1500 और 11वीं कक्षा के लिए 1500) का चयन किया जाता है। स्कूलों में प्रवेश राष्ट्रव्यापी परीक्षा में प्राप्त योग्यता और वेब आधारित परामर्श प्रणाली के माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों द्वारा चुने गए स्कूलों के आधार पर होता है।

मोड-II: अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गैर-आवासीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5. अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) [पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)/विशेष घटक योजना (एससीपी)]

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की परिकल्पना गरीब अनुसूचित जाति परिवारों को समग्र आय सृजन कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य उनका समग्र विकास और अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। योजना के पहले छह दशकों के अनुभव से पता चलता है कि आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने धीरे-धीरे इन कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचाया, लेकिन उतना नहीं जितना अन्य समुदायों को लाभ पहुँचा। अनुसूचित जातियों के लिए 'विशेष घटक योजना (एससीपी)" की अवधारणा 1979 में शुरू की गई थी। 2006 में इसका नाम बदलकर "अनुसूचित जाति उप-योजना" (एससीएसपी) कर दिया गया। एससीएसपी के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. अनुसूचित जातियों के बीच गरीबी और बेरोजगारी में महत्वपूर्ण रूप से और तेजी से कमी लाना।

ii. अनुसूचित जातियों के पक्ष में उत्पादक परिसंपत्तियों और आजीविका के अन्य साधनों का सृजन करना ताकि उन्हें विकास के लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

iii. पर्याप्त शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके अनुसूचित जातियों के मानव संसाधन का विकास करना।

iv. सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध वास्तविक और वित्तीय सुरक्षा का प्रावधान करना।

डीएपीएससी के तहत वर्तमान में 39 मंत्रालय विभाग/233 योजनाओं के लिए धन आवंटित कर रहे हैं। पिछले सात वर्षों का वर्षवार विवरण नीचे दी गई तालिका में है।

तालिका: वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक डीएपीएससी के कार्यान्वयन की स्थिति

मद	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
योजनाओं की संख्या	296	314	338	328	312	286	250	233
विभागों/मंत्रालयों की संख्या	26	30	35	37	38	39	39	39
डीएपीएससी/ एससीएसपी का आवंटन	52719.00	62473.86	72936.29	82707.51	139956.42	152604.29	146861.08	166147.75 (बजट अनुमान)
वास्तविक व्यय	48200.79	52655.37	61894.10	62785.16	123009.63	138639.28	135178.59	74209.59
प्रतिशत	91.43	84.28	84.86	75.91	87.89	90.85	92.05	44.66 (बजट अनुमान)

वित्तीय, वास्तविक और परिणाम आधारित निगरानी संकेतकों पर समग्र 39 डीएपीएससी बाध्यकारी बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों से ऑन-लाइन डेटा प्राप्त करने के लिए एक ऑन-लाइन डेटा कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर **ई-उत्थान** है। इस सॉफ्टवेयर को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़ा गया है और वास्तविक समय के आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है।

6. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): इस योजना के उद्देश्य हैं:

क) कौशल विकास, आय सृजक योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन द्वारा अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना।

ख) अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।

ग) साक्षरता में वृद्धि करना और गुणवत्तापरक संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेष तौर पर अकांक्षी जिलों/एससी बाहुल्य ब्लॉकों तथा भारत में अन्यत्र भी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना।

40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी और 500 या उससे अधिक की कुल आबादी वाले गांव इस योजना के तहत चयन के लिए पात्र हैं। चयनित गांवों को 10 क्षेत्रों, जिनमें पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका और कौशल विकास शामिल हैं, के तहत चिन्हित 50 सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों से परिपूर्ण किया जाता है, जो गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं।

वर्ष 2021-22 से, 5185 लाभार्थियों के लिए कुल 46 छात्रावासों की मंजूरी दी गई है और पीएम-अजय के छात्रावास घटक के तहत 126.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

7. **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना,** वर्ष 2020-21 के दौरान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण है। लक्षित समूह के अधिकांश व्यक्तियों के पास न्यूनतम आर्थिक परिसंपत्ति है; इसलिए, इन लाभवंचित लक्षित समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण/उत्थान के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान और उनकी दक्षताओं को बढ़ाना आवश्यक है।

इस योजना में ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, एससी और कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना का फोकस अच्छी गुणवत्ता वाली संस्थाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप लक्षित समूहों के सामाजिक-आर्थिक आर्थिक विकास के लिए नौकरी अथवा स्वरोजगार मिल सके। चयन के लिए मानदंड आयु: 18-45 45 वर्ष है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। एससी/ डीएनटी/ सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित)

उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। इस योजना के प्रमुख घटक अपस्किलिंग/ री-स्किलिंग, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) हैं।

8. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजनाएं

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अनुसूचित जातियों (एससी) सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्कीलिंग, री-स्कीलिंग और अप-स्कीलिंग प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस कर भविष्य के लिए तैयार करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना का उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्कीलिंग एवं री-स्कीलिंग प्रदान करना है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के गैर-साक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ देने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें "दिव्यांगजनों" और अन्य योग्य मामलों में आयु में उचित छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा शिक्षुओं को वजीफे के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यस्थल प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है।

एमएसडीई की योजनाओं के तहत निधि सीधे जिलों को जारी नहीं की जाती है। पीएमकेवीवाई और जेएसएस के तहत निधि निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण की लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से वजीफा सहायता जारी की जाती है। आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण भी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

पूरे भारत में और जमुई निर्वाचन क्षेत्र में एमएसडीई की उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित/संलग्न/नामांकित सभी श्रेणी के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

योजना	**अखिल भारत (सभी श्रेणी)**	**अखिल भारत अनुसूचित जाति (एससी)**	**जमुई निर्वाचन क्षेत्र (मुंगेर, शेखपुरा और जमुई जिलों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवार)**
पीएमकेवीवाई (2015-16 से 31.10.2024 तक)	157.55 लाख	20.79 लाख	48,224
जेएसएस (2018-19 से 31.10.2024 तक)	27.35 लाख	7.01 लाख	5,752
एनएपीएस (2018-19 से 31.10.2024 तक)	33.69 लाख	4.06 लाख	1,966
सीटीएस/ आईटीआई (2018-19 से 2023-24 तक)	79.57 लाख	17.65 लाख	5,477

*****